अनुदान संख्या 17 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 17 - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2636,96,00	2641,97,00	668,57,80	-1973,39,20
पूरक	Supplementary	5,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,70,08,23
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		55,10,00	41,89,69	-13,20,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,18,77

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹197339.20 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹501.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 75 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹197339.20 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹501.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 75 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	223998.00			
पू.	S.	501.00	27880.06	27789.02	-91.04
पु.	R.	-196618.94			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	39698.00	39308.71	39068.78	-239.93
पु.	R.	-389.29			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹1902.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1900.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3475" – "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)" के अंतर्गत आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1902.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹1900.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3475"- "Regulation of Joint Stock Companies - Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)" - due to availability of internal resources.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत ₹196709.98 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹221499.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम पेशेवरों का काम पर रखे जाने, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत छात्रवृत्ति अनुदान जारी न करने, कम विज्ञापन तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Corporate Affairs" - saving of ₹196709.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹221499.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, non-release of scholarship Grant under PM Internship Scheme, less advertisements and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹815.61 लाख की बचत हुई, जिसमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत थी।

(III) Under two heads savings of ₹815.61 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent and 13 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" – "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475"- "Regulation of Joint Stock Companies" - under the following heads:-

(I) "गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)" – ₹555.65 लाख का अधिक व्यय (₹4301.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा बिलों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, हाउस कीपिंग प्रभारों और अन्य स्थापना प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) "Serious Fraud Investigation Office (SFIO)" - excess of ₹555.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4301.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards medical bills, training workshop, house keeping charges and other establishment charges.

(II) "राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी)"– ₹1404.93 लाख का अधिक व्यय (₹8931.31 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, स्थापना प्रभारों और मेघराज 2.0 में सॉफ्टवेयर के स्थानांतरण के लिए एनआईसी को भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) "National Company Law Tribunal (NCLT)" - excess of ₹1404.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8931.31 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of outsourced staff, establishment charges and payment to NIC for migration of software to Meghraj 2.0.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	5510.00	4191.23	4189.69	-1.54
पु.	R.	-1318.77			

(I) "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत ₹3071.87 लाख की बचत (₹4019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व व्यापार केंद्र के भवन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और अहमदाबाद स्थित कारपोरेट भवन के 3 मंजिलों के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Secretariat - Economic Services" - saving of ₹3071.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4019.00 lakhs) was due to non-finalization of proposal for acquiring world trade centre building and delay in construction of 3 floors at Corporate Bhawan Ahmedabad.

4. उपर्युक्त बचतें "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:–

4. The above savings were partly offset by excess under "Direction and Administration" - under the following heads:-

(I) "अन्य कार्यालय – आर्थिक सेवाएं" – ₹849.14 लाख का अधिक व्यय (₹1391.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटर फोरेनसिक माइनिंग डाटा लैब के लिए अतिरिक्त उपकरणों, आईटी उपकरणों की आवश्यकता होने और राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण की 15 शाखाओं में हाइब्रिड कोर्ट सिस्टम और वाई–फाई स्थापित करने के लिए विक्रेताओं को भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(II) "कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन योजना" – ₹902.42 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन योजना के लिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सर्वर की खरीद के कारण हुआ।

5. *निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष –*

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष को दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा राशियों, परिपक्व डिबेंचरों, वापसी के लिए देय आवेदन राशि और उस पर ब्याज के संबंध में वापसी के लिए, निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, शेयरों या डिबेंचरों के लिए पात्र और पहचाने जाने योग्य आवेदकों, शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या जमाकर्ताओं के बीच किसी भी वापस की गई राशि के वितरण के लिए खोली गई थी, जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गलत कार्यों के कारण नुकसान हुआ है, न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार वापसी का आदेश दिया गया था।

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

(I) "Other Offices - Economic Services" - excess of ₹849.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1391.00 lakhs) was due to requirement of additional tools for Computer Forensic Mining Date Lab, IT equipment and payment to vendors for installing hybrid court system and Wi-Fi in 15 benches of National Company Law Tribunal.

(II) "Corporate Data Management scheme" - excess of ₹902.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to procurement of Storage Area Network and Servers for Corporate Data Management Scheme.

5. *Investor's Education and Protection Fund-*

The Investor's Education and Protection Fund was opened to refund in respect of unclaimed dividends, matured deposits, matured debentures, the application money due for refund and interest thereon, for promotion of investor's education, awareness and protection, distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture-holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any persons, in accordance with the orders made by the Court which had ordered disgorgement.

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	:	86,57,22
प्राप्तियां	Receipts	:	30,00,00
अदायगियां	Payments	:	30,00,00
अंतशेष	Closing Balance	:	86,57,22